न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा (अलवर) राज0
पीठासीन अधिकारी महेन्द्र सिंह (आर0ए0एस0)

मुकदमा नम्बर	तारीख दायर	तारीख फैसला
20/2022	28-04-2022	17-08-2022

बउनवान :-

01. ताराचन्द
02. दुलीचन्द
03. सोहनलाल पुत्रान चन्दर जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

----:: प्रार्थीगण

बनाम

01. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भूमिधारी पैरोकार तहसील तिजारा जिला अलवर (राज0)
02. नेतराम
03. रघवरदयाल
04. विनोद कुमार पुत्रान फूलसिंह
05. कृष्णा
06. सुशीला
07. मीना पुत्रीयान फूलसिंह
08. फूलवती पत्नी फूलसिंह जाति माली निवासीगण तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

----:: असल अप्रार्थीगण

09. चुन्नीलाल पुत्र नन्दकिशोर नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त सरंक्षक माता सरोज पत्नी श्री नन्दकिशोर जाति माली निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर

----:: तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956
–:: निर्णय ::–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत किया है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 2710/997 रकबा 0.6775 है0 2711/997 रकबा 0.8875 है0 किता 2 कुल रकबा 1.5650 है0 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर में स्थित है। उक्त आराजी तन्हा मिन प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी की जमाबन्दी में तन्हा मिन प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी के नाम खातेदारी का अंकन दर्ज रिकार्ड है। मिन प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी अपनी खातेदारी की भूमि पर काबिज व दाखिल चले आ रहे है तथा मौके पर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी का उक्त वर्णित आराजी पर वास्तविक कब्जा है। मिन प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की उक्त खातेदारी की आराजी के साथ लगती हुई असल अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 की हाल आराजी खसरा नम्बर 2709/997 रकबा 0.5825 है0 व 2712/997 रकबा 0.2000 है0 है। अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 जो कि मिन प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी से दिली रंजिश रखते है और

... मिलान को प्रयासरत रहे है। ... प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी को जबरन अपनी आवेदन पेश कर अपनी खातेदारी की भूमि की पैमाईश कराने का निवेदन किया। जिस पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 तहसीलदार तिजारा को आदेश क्रमांक 13 दिनांक 16.06.2021 को हल्का पटवारी व कानूगो को आराजी की पैमाईश करने के आदेश दिये। तहसीलदार तिजारा के आदेश की अनुपालना में दिनांक 02.07.2021 को हल्का पटवारी व कानूनगो मौके पर आये। हाल आराजी खसरा नम्बर 2710/997 रकबा 0.6775 है0, 2711/997 रकबा 0.8875 है0 किता 2 कुल रकबा 1.5650 है0 की मौके पर सीमाज्ञान व पैमाईश की गई व निशानात लगाये गये तथा उपस्थित लोगों के हस्ताक्षर कराये। जिस मौका पर्चा पर हल्का पटवारी व कानूनगो ने अपने हस्ताक्षर का मौका रिपोर्ट तहसीलदार तिजारा के समक्ष पेश की है। जिस मौका रिपोर्ट की प्रति संलग्न प्रार्थना पत्र है। मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी की उक्त आराजी के पडौसी काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 6 जो कि बिना किसी हक व अधिकार के प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी के हिस्से की भूमि को मिलाकर प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी के हकूको को जायल करने की जुस्जतू में है तथा पूर्व पैमाईश व मौका पर्चा को मानने को तैयार नहीं है जबकि प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी की आराजी से अप्रार्थीगण संख्या 2 लगायत 8 का कोई लेना देना नहीं है। वर्णित आराजी में चुन्नीलाल पुत्र नन्दकिशोर नाबालिग जरिये वलीसरपरस्त सरंक्षक माता सरोज पत्नी नन्दकिशोर जाति माली निवासी तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर के हित निहित है। जो अदालत श्रीमान् के समक्ष में उपस्थित होने में असमर्थ है। इसलिए उसे तरतीबी अप्रार्थी संख्या 9 की जद में पक्षकार मुकदमा बनाया गया है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर मुताबिक मौका पर्चा सीमाज्ञान दिनांक 02.07.2021 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2710/997 रकबा 0.6775 है0, 2711/997 रकबा 0.8875 है0 किता 2 कुल रकबा 1.5650 है0 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी कराई जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण संख्या 2, 3, 4 व 8 द्वारा जवाव प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण ने हम जवावदारान की भूमि पर अवैध रूप से जवरन कब्जा डौल तोडकर किया हुआ है। जिसको गलत रूप से प्रार्थना पत्र की आड में अवैध कब्जे को रेगुलाईज कराना चाहता है। आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की डौल लगती हुई है। कोई दिली रंजीश नहीं है और प्रार्थीगण जो कि लडाका व मुठमर्द किस्म के आदमी है, जिन्होने हम अप्रार्थीगण की आराजी की डौल तोडकर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। मौके पर हम अप्रार्थीगण की आराजी पूरी नहीं है तथा प्रार्थीगण द्वारा हम प्रार्थीगण को बिना सूचना दिये हुए हल्का पटवारी से साज–वाज होकर गलत रिपोर्ट तैयार कराई गई है, ना ही मौके पर हम जवावदारान का बुलवाया गया है पूरी रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा मनमानी तरीके से बिना किसी सूचना के तैयार कर पेश की गई है, जो रिपोर्ट मौका के खिलाफ है तथा उक्त आराजी हम अप्रार्थीगण के बुजुर्ग नौंदा पुत्र रूडिया जो हम जवावदारान का दादा व फूलसिंह पुत्र नौंदा जो हम जवावदारान का पिता था, उन्होने दिनांक 15.07.1969 को जरिये रजि. बयनामा चन्द्र पुत्र तुल्ला सैनी निवासी तिजारा से जरिये रजि. बयनामा की खरीद की हुई है और उसके बाद मौके पर आपसी सहमति से पक्षकारों के मध्य राजीनामा होकर तकासमा हुआ है, लेकिन प्रार्थी ने मौके पर अपने रिकॉर्ड से अधिकार भूमि दवाई हुई है तथा हम अप्रार्थीगण की भूमि मौके पर कम है। जबकि उक्त आराजी प्रार्थीगण के बुर्जुगान से ही खरीदशुदा आराजी

[illegible] उचित एवं न्यायसंगत है। आराजी खसरा नम्बर 997 में से [illegible] द्वारा प्रार्थीगण के बुजुर्गान से जरिये रजि. बयनामा के दिनांक 15.07.1986 को खरीद की गई है और आये रोज आपसी विवाद होने के कारण हम पक्षकारान ने आपस में मौखिक में तकासमा कर लिया, लेकिन मौके पर हम जवाबदारान की खातेदारी की कृषि भूमि पर अप्रार्थीगण ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है और उस गलत कब्जे के आधार पर हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 02.07.2021 को हम जवाबदारान को बिना नोटिस व सूचना दिये हुए गलत रूप से एक पक्षीय मौका पर्चा तैयार किया गया है, जबकि आराजी खसरा नम्बर 2712/997, 2713/997, 2709/997 से अप्रार्थीगण की [illegible] से लगती हुई है, जो इन्ही से खरीद की हुई है और गलत रिपोर्ट के आधार पर गैरकानूनी कब्जा को उक्त प्रार्थना पत्र की आड में रेगुलाईज चाहते है। हम अप्रार्थीगण की आराजी खसरा नम्बर 2712/997, 2713/997, 2709/997 का भी मौका पर्चा मंगाया जाकर कानूनन एवं उचित एवं न्यायसंगत है, जिससे श्रीमान के असलियत रोशन हो सकेगा और सही न्याय दिया जाव सकेगा।

प्रार्थी द्वारा जवाब अप्रार्थीगण का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 2712/997, 2713/997 व 2709/997 तथा हम जवाबदारान की आराजी खसरा नम्बर 2710/997, 2711/997 की डोल आपस में लगती हुई है, प्रार्थीगण जबरदस्ती डोल को तोडकर हमारी आराजीयात में मजाहमत करते चले आ रहे है, जिस पर हम जवाबदारान ने अपनी आराजी खसरा नम्बर 2710/997 व 2711/997 की पैमाईश तहसीलदार तिजारा द्वारा दिनांक 02.07.2021 को विधिवत तरीके कराई जाकर राजस्व टीम ने हम जवाबदारान की आराजीयात को मुस्तकील बिन्दु से चिन्हित किया जाकर मौका पर्चा तैयार कर पैमाईश की गई है, प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से यह कथन कि हमारी आराजी की पैमाईश कराकर पत्थरगढी के आदेश दिये जावे कतई गलत है, प्रार्थीगण अपनी आराजीयात की पैमाईश व पत्थरगढी करवाने के लिए स्वतन्त्र है हम अप्रार्थीगण को पत्थरगढी नहीं करवाने के लिए बाध्य कर सकते है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उक्त प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाकर हम जवाबदारान की आराजी खसरा नम्बर 2710/997 व 2711/997 की पत्थरगढी के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। अन्य प्रतिवादी संख्या 2 अनुपस्थित रहे इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर पैमाईश रिपोर्ट दिनांक 02.07.2021 के अनुसार हाल आराजी खसरा नम्बर 2710/997 रकबा 0.6775 है0 2711/997 रकवा 0.8875 है0 किता 2 कुल रकवा 1.5650 है0 वाके ग्राम तिजारा तहसील तिजारा जिला अलवर की पत्थरगढी किये जाने के आदेश दिये जाते है। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 8 की आराजी खसरा नम्बर 2712/997 व 2709/997 की भी पैमाईश कर मौके पर पत्थरगढी की जावें। तहसीलदार तिजारा को अहकाम जारी हो। है कि अप्रार्थीगण तहसीलदार तिजारा के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी आराजी की पैमाईश करवाये जाने हेतु स्वतन्त्र है। पत्रावली फैशल शुमार हो।

आदेश सुनाया गया।

(महेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
तिजारा (अलवर)